कार्यालय उपायुक्त ऊना,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

संख्या–पंच–ऊना(नि0)–26 / 2010–III– 1130-39 दिनांक 23 जून, 2020.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 124 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत, मैं, संदीप कुमार (भा0प्र0से0) उपायुक्त ऊना, जिला ऊना दिनांक 22.6.2020 को हुए उपाध्यक्ष पंचायत समिति अम्ब के निर्वाचन में हुए नव–निर्वाचित उपाध्यक्ष श्री हरदीप सिंह (वार्ड न0–09 चोआर) सपुत्र श्री हरि राम गांव साथरू डा0 सपौरी ग्राम पंचायत राजपुर जसवां तहसील अम्ब जिला ऊना के नाम का प्रकाशन जन–साधारण की सूचना / जानकारी हेतु अधिसूचित करता हूँ।

23/06/2020
संदीप कुमार, (भा0प्र0से0)
उपायुक्त, जिला ऊना, हि0प्र0।

पृष्ठांकन संख्या–यथोपरी– 1130-39 ऊना दिनांक 23 जून, 2020

प्रतिलिपि सेवा में:–

1. निदेशक, पंचायती राज, हि0 प्र0, शिमला–9 को सूचनार्थ।
2. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, हि0प्र0 शिमला–2 को सूचनार्थ।
3. नियन्त्रक, लेखन व मुद्रण सामग्री विभाग, हि0प्र0 शिमला–5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
4. उपमण्डलाधिकारी(ना0) अम्ब जिला ऊना, हि0प्र0 को सूचनार्थ तथा इस आश्य सहित कि वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित) धारा 127 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 85–ए के अनुसरण में नव–निर्वाचित उपाध्यक्ष पंचायत समिति अम्ब को शपथ दिलाना सुनिश्चित् करें।
5. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0 को सूचनार्थ।
6. जिला प्रौद्योगिकी अधिकारी को इस आश्य सहित उक्त अधिसूचना को वैव–साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. खण्ड विकास अधिकारी अम्ब, जिला ऊना हि0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष व समस्त समिति सदस्य पंचायत समिति अम्ब को सूचनार्थ।
10. कार्यालय सूचना पट्ट।
11. गार्ड पत्रावली।

23/06/2020
उपायुक्त,
जिला ऊना, हि0प्र0।